मध्यप्रदेश शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2018

क्रमांक एफ 3-18(5-2)/2018/29-2(2) - भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, के आदेश क्रमांक F.No. 23/Madhya Pradesh/2012-Comp.Cell, दिनांक 25.03.2013 से राज्य में "End to End Computerization of TPDS Operations" की Plan Scheme का क्रियान्वयन किया जाना है। इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अपैक्स कमेटी की बैठक दिनांक 25.01.2018 में PMU की संरचना की सहमति दी गई हैं। प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.05.2018 के आधार पर PMU में आऊटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन लिए जाने की अनुमति दी गई हैं ।

2. उपरोक्त निर्णयों के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा मानव संसाधनों का चयन (उचित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कौशल एवं अनुभव के आधार पर) करने के उद्देश्य से निम्नानुसार स्थापना समिति का गठन करता है :-

क्र.	पदनाम	विवरण	टिप्पणी
1.	अध्यक्ष	संचालक	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
2.	सह-अध्यक्ष	राज्य सूचना अधिकारी (SIO)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
3.	सदस्य	तकनीकी विशेषज्ञ	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPSeDC) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मध्यप्रदेश एजेंसी प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP_IT) द्वारा नामांकित अधिकारी
4.	सदस्य	महाप्रबंधक स्तरीय अधिकारी	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा नामांकित अधिकारी
5.	सदस्य	नामांकित	संचालक, खाद्य द्वारा आमंत्रित विषय-वस्तु विशेषज्ञ
6.	संयोजक	संयुक्त संचालक (PMU)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

3. स्थापना समिति (EC) की प्रमुख भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:-

3.1. EC द्वारा सेवा शर्तो के अनुबंध, आऊटसोर्सिंग संस्था के साथ अनुबंध, मानव संसाधन की आवश्यकताओं तथा उनके मानदेय का निर्धारण किया जायेगा।

3.2. EC द्वारा प्रथम बैठक में कार्यकारी निर्देश जिसमें चयन करने की प्रक्रिया एवं उत्तदायित्वों को तैयार कर SPeMT टीम से अनुमोदन पश्चात् उसकी स्वीकृति आदेश PMU से जारी कराया जाएगा।

3.3. EC के द्वारा मानदेय सीमा निर्धारित की जावेगी। निर्धारित मानदेय सीमा से ऊपर के समस्त मानव संसाधन पर चयन हेतु EC चयन समिति भी रहेगी।

3.4. EC के द्वारा PMU की Sub Committee के रूप में Selection Committee का गठन किया जावेगा जो कि निर्धारित मानदेय सीमा के नीचे के मानव संसाधन का चयन करेगी।

3.5. EC द्वारा कार्य को समय सीमा में करने हेतु जरूरी बैठकें की जावेंगी तथा बैठकों के रिकार्ड नोट्स जारी करने की व्यवस्था मय e-trail बनाने के साथ रखी जायेगी ।

3.6. EC के अन्य कार्यकारी निर्देश सलाह के उपरांत PMU के द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मदनकुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ. क्रमांक एफ-3-18(5-2)/2018/29-2(2) **भोपाल, दिनांक: 19 जुलाई, 2018**

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।
2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश एजेंसी प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल।
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भोपाल।
8. महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल।
9. नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग